

**निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा ।**  
( विज्ञापन )

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 ( संशोधित अधिनियम 2006) के अर्न्तगत किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य पद एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित जिलों एवं वर्गों के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं ।

**I किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिये – (2 पद) हिसार तथा फतेहाबाद ।**

**(i) योग्यतायें :**

- **आयु :** बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले समाजिक कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।
- **शैक्षणिक योग्यता:** वह समाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा समाजिक विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो ।
- **अनुभव :** वह कम से कम सात वर्ष तक बाल कल्याण से संबंधित प्रशासनिक उपायों की योजना तथा कार्यन्वयन में सक्रिय रूप से अंतर्वलित रहा हो ।

**(ii) कार्य एवं जिम्मेदारियां**

- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का न्यायनिर्णयन तथा निपटान करना ।
- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिये कार्यरत संस्थाओं को मानीटर करना और ध्यान में आई कमियों के मामलों में बोर्ड के सुझावों के आधार पर सुधार के संबंध में समिति के साथ संपर्क बनाये रखना ।
- आवश्यक अवसंरचना या सुविधाएं प्रदान अथवा सृजित करने के लिये जिला प्राधिकारियों तथा पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करना, ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय तथा उपचार के न्यूनतम मानक बनाये रखे जा सके ।
- देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले मामलों के संबंध में समिति के साथ संपर्क बनाये रखना ।
- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करना ।

**II बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिये :—(8 पद) फरीदाबाद, गुडगाव, झज्जर, करनाल, मेवात, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर ।**

**(i) योग्यतायें :**

- आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम न हो ।
- वह सोशल वर्क मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, समाज शास्त्र, विधि, किमिनोलोजी, अपराध शास्त्र के विषयों में स्नातक की उपाधि रखता हो जिसकी अनुपलब्धता की स्थिति में ।
- सामाजिक विज्ञान डिस्प्लिन्ज में से किसी एक में स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को विचारा जा सकता है ।

**III बाल कल्याण समिति के सदस्य पद के लिये :—( पद 55) जिला भिवानी (2), फरीदाबाद (2), फतेहाबाद (4), गुडगाव (3), हिसार (3), झज्जर (3), करनाल (2), कैथल (3), कुरुक्षेत्र (3), मेवात (3), नारनौल (4), पंचकूला (3), पानीपत (3), पलवल (3), रेवाड़ी (3), रोहतक (3), सोनीपत (3), सिरसा (3) तथा यमुनानगर (2)**

**(i) योग्यतायें :**

- समिति के सदस्य का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता रखता हो :— शिक्षक, डाक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों से संबंधित कार्य में कार्यरत रहा हो ।
- समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ स्वयंमेव समाप्त हो जायेगा ।
- समिति के अध्यक्ष और सदस्य लगातार दो अवधियों तक ही नियुक्त किये जा सकते हैं ।

- नोट 1. –** कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति एवं बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये विचारणीय नहीं होगा, यदि वह :
- (i) किसी विधि के अधीन सजायफता हो ।
  - (ii) बच्चों से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिक नियुक्त करने अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन या अन्य किसी अनैतिक कार्य में शामिल रहा हो ।
  - (iii) कोई ऐसा व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह समिति के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय तथा ध्यान न दे सकता हो ।
  - (iv) इस अधिनियम तथा इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अधीन विहित अर्हताएं तथा अनुभव पूरा न करता हो, ऐसे मामलों में चयन समिति जांच कर लेने के बाद तथा ऐसे तथ्यों के सिद्ध होने पर उसके आवेदन को रद्द करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की गई सूची में से अगले व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी ।

**नोट 2.** समिति के कार्यकर्ता को प्रति बैठक 500/-रुपये की दर से यात्रा/बैठक भत्ता दिया जायेगा ।

**नोट 3.** पात्र आवेदक अपना आवेदन तथा बायो- डाटा शैक्षणिक योग्यतायें, अनुभव प्रमाण पत्रों सहित भिजवाने के लिये संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दिनांक **16/08/2013** तक अवश्य प्रस्तुत करें । आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्राप्त न होने की स्थिति में विचारा नहीं जायेगा ।

**नोट 4 :** आवेदक अपने आवेदन में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करेंगे ।

- (i) पद का नाम
- (ii) आवेदक का नाम
- (iii) पिता /पति का नाम
- (iv) स्थाई पता
- (v) पत्राचार पता
- (vi) दूरभाष न० /फैक्स न०/ईमेल आईडी
- (vii) उच्च विद्यालय के प्रमाण पत्र अनुसार जन्म तिथि
- (viii) वर्तमान आयु
- (ix) शैक्षणिक योग्यतायें
- (x) सामाजिक कार्य व संबंधी क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
- (xi) हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण -पत्र ।

रेनू फुलिया आई०ए०एस०  
निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा  
बेज न० 15-20, पॉकेट -II, सैक्टर-4, पंचकूला, I  
दूरभाष पर न० 0172- 2571151  
बैबसाईट [www.wcdhry.gov.in](http://www.wcdhry.gov.in)  
ईमेल आईडी [spsu.icps@gmail.com](mailto:spsu.icps@gmail.com)

## DIRECTOR WOMEN & CHILD DEVELOPMENT HARYANA

(Advertisement)

Applications are invite fo appointment of Members of Juvenile Justice Boards and Chairman & Members of Child Welfare Committees under Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act,2000 (as amended in 2006) for following districts and categories.

### I Members of Juvenile Justice Boards Two ( For Distri ct Hisar and Fatehabad only )

#### i) Qualification:-

- (i) The Social Worker to be appointed as Member of the Board shall be a person not less than 35 years of age.
- (ii) He/She should be post graduate degree in social work, health, education, psychology, child development or any other social science discipline.
- (iii) He/She should have been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to child welfare for at least 7 years.
- (iv) Having domicile of Haryana.

#### ii) Role & Responsibilities:-

- (i) adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;
- (ii) monitoring instructions for juveniles in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement bases on suggestions of the Board;
- (iii) pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the sprit of the Act;
- (iv) maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;
- (v) any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law.

### II Chairperson of Child Welfare Committees :- 8 Posts (Faridabad,Gurgaon, Jhajjar,Karnal,Mewat, Rohtak ,Sonepat and Yamunanagar only)

#### i) Qualification:-

- A person is not less than 35 years of age.
- Graduate degree in Social Work Psychology, Child Development, Education, Sociology, Law Criminology and where such a person is not available, a person with atleast Graduate degree in any of the Social Science disciplines having minimum **experience of 7 years of in respective field.**

### III Member of Child Welfare Committees (55 Posts) Bhiwani(2) Faridabad (2) Fatehabad (4), Gurgaon (3) , Hisar (3) Jhajjar (3), Karnal (2), Kaithal (3) Kurukshetra (3) Mewat (3), Narnaul (4), Panchkula(3), Panipat(3), Palwal(3), Rewari(3), Rohtak(3), Sonepat(3), Sirsa(3) and Yamunanagar(2)

#### ii) Qualification:-

- A person to be selected as Member of Committee shall have either of the following qualification; A teacher, A doctor or a Social Worker who has been involved in work concerning children.
- The Committee shall have a **tenure of five years** and the tenure of Chairperson and members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.
- The Chairperson and Members of the Committee shall be eligible for appointment for a maximum of **two consecutive terms.**

**Note 1:** No person shall be considered for selection as a Chairperson/Member Child Welfare Committee, if he/she,

1. has been convicted under any law;
2. has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human right violations or immoral act;
3. is holding such other occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee.
4. does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under, and in such a case the selection committee shell after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

**Note 2:** The member of the Committee shall be paid as travel and sitting allowance, Rs. 500/- (Rs. Five hundred only) per sitting/meeting.

**Note 3:** Applicant who are eligible will send their applications and Bio-Data along with their certificates of educational qualifications, experience certificate and submit the same to respective District Programme Officer, Women & Child Development Department by **16 /08 / 2013** positively.

**Note 4:** Applicant has to mention the following information in his application format:

- i. Name of the post
- ii. Name of Candidate
- iii. Father / husband Name
- iv. Permanent Address
- v. Correspondence Address
- vi. Telephone Number / Fax No. / Email ID
- vii. Date of Birth (as per certificate of High School)
- viii. Present Age
- ix. Educational Qualification
- x. Experience of Social Work and other child related fields
- xi. Having Domicile of Haryana State.

Renu Phulia, IAS  
Director,  
Women & Child Development Department Haryana,  
Bays No.: 15-20, Pocket-II, Sector-4, Panchkula  
Phone No.: 0172-2571151  
Website: [www.wcdhry.gov.in](http://www.wcdhry.gov.in)  
Email ID: [spsu.icps@gmail.com](mailto:spsu.icps@gmail.com)

विषय :- संशोधन करवाने बारे ।

अधिकारीगण कृप्या उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 8.8.2013 को जो विज्ञापन प्रारूप वैबसाईट पर डाला गया था उसके अग्रेजी के प्रारूप में